

क्रमांक:-सं.24(13)(1)स्था/मंत्रा/नियमितिकरण/अभि/22/ 12384-88 दिनांक:- 7/09/2022

-: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक सं.3(3)(03)स्था/मंत्रा/अभि/2020/7938-60 दिनांक 14.07.2020 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा-2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक अप किये गए अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.-3/2020 जयपुर दिनांक 18.06.2020 से इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायको को परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप सूची में कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ सहायक के पद का नियमित वेतन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त/नियम 2017 दिनांक 30.10.17 एवं संशोधित 9.12.2017 के अनुसार शिड्यूल-1 (पार्ट-बी) नियम-5(VI) एवं (VII) के अनुसार पे मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमित नियुक्ति की जाकर, न्यूनतम मूल वेतन रुपये 20,800/- पर वेतन निर्धारित किये जाने तथा नियमानुसार वेतन भत्ते आदि के भुगतान की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	उपस्थिति दिनांक	असाधारण अवकाश	परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	नियमित करने की दिनांक	पदस्थापन कार्यालय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	18149	श्री रोशन लाल महावर पुत्र श्री लाल चन्द महावर	16.07.2020	---	15.07.2022	16.07.2022	स.नि.अ., पाली
2.	18162	श्री रजत कुमार पुत्र श्री अमर सिंह	17.07.2020	15 दिवस	16.07.2022	17.07.2022	स.नि.अ. द्वितीय जयपुर शहर
3.	18609	श्री प्रवीण कुमार वर्मा पुत्र श्री मोहन लाल वर्मा	16.07.2020	06 दिवस	15.07.2022	16.07.2022	स.नि.अ., पाली
4.	18659	श्री गुलशन जाजोरिया पुत्र श्री शंकर जाजोरिया	16.07.2020	03 दिवस	15.07.2022	16.07.2022	स.नि.अ., पाली
5.	21664	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा	20.07.2020	15 दिवस	19.07.2022	20.07.2022	स.नि.अ., सिरौही

नोट :- जिन कार्मिको का परिवीक्षाकाल में वेतन पूर्व के पद के अनुसार वेतन संरक्षित (पे-प्रोटेक्ट) किया गया है उनका वेतन निर्धारण पे-प्रोटेक्ट के अनुसार किया जावे।

*s d*

(चंचल मिश्रा)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिको का नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा:- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन।
4. रक्षित पत्रावली।

*Manish*  
6/9  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।